बिहार राज्य आवास बोर्ड की 259वीं बैठक, दिनांक–06.08.2018

उपस्थिति

1–	अध्यक्ष सह विकास आयुक्त, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।	–	अध्यक्ष
2–	सचिव वित्त (व्यय) वित्त विभाग, बिहार, पटना।	–	सदस्य
3–	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।	–	सदस्य
4–	विशेष सचिव/अपर सचिव,, योजना विभाग, बिहार, पटना।	–	सदस्य
5–	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।	–	सदस्य
6–	मुख्य अभियंता (प्रमुख) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना।	–	सदस्य
7–	मुख्य अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।	–	सदस्य
8–	सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।	–	सदस्य
9–	डॉ0 कामिनी सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, वास्तुकला विभाग, राष्ट्रीय प्रावैधिक संस्थान (NIT), पटना।	–	गैर सरकारी सदस्य
10–	डॉ0 सुनीता लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पटना।	–	गैर सरकारी सदस्य
11–	हडको प्रतिनिधि, बिहार, पटना।	–	विशेष आमंत्रित
12–	विधि परामर्शी, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।	–	विशेष आमंत्रित

(31)

बैठक की कार्यवाही

बिहार राज्य आवास बोर्ड की 259वीं बैठक दिनांक–06.08.2018 को अध्यक्ष सह विकास आयुक्त के कार्यालय कक्ष में प्रारम्भ हुई। बैठक में निम्नलिखित कार्यावलियों पर विमर्शोपरान्त निर्णय लिये गये।

कार्यावली संख्या	विषय	निर्णय
1	बोर्ड की 258वीं बैठक दिनांक–04.04.2018 का अनुपालन के संबंध में।	अनुमोदित।
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड की वर्ष 2017–18 का वास्तविक व्यय एवं वर्ष 2018–19 का बजट अनुमान अनुमोदन के संबंध में।	अनुमोदित।
3	बिहार राज्य आवास बोर्ड में विभिन्न गैर एकल पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के नियोजन की अवधि बढ़ाने के संबंध में।	कार्यावली में वर्णित सभी नियोजित कर्मियों की नियोजन अवधि तीन वर्षो के लिए, मानदेय में 05% वार्षिक वृद्धि के साथ विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।
4	बिहार राज्य आवास बोर्ड में सेवा निवृत, पदाधिकारियों /कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियोजन करने के संबंध में।	मो0 परवेज, सेवा–निवृत, प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सेवा निवृति के पश्चात् बिहार राज्य आवास बोर्ड में अवर सचिव के पद पर नियोजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई। श्री संजय मल्लिक, चालक की संविदा अवधि दिनांक–01.04.2018 से एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कार्यावली में वर्णित सेवा निवृत चौकीदारों के एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

5	बिहार राज्य आवास बोर्ड के आवासीय कॉलोनीयों में आवंटित भूखण्ड से सटे छिट–पुट भूखण्ड जो स्वतंत्र भूखण्ड नहीं है, का आवंटन व्यवसायिक MVR पर करने के संबंध में।	बोर्ड के निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य आवास बोर्ड के विभिन्न आवासीय कॉलनियों में आवंटित भूखण्ड से सटे छिट–पुट भूखण्ड, जो स्वतंत्र भूखण्ड नही है, का आवंटन प्रभावित पक्षों के बीच नीलामी के माध्यम से किया जाए। नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित कॉलोनियों के व्यवसायिक MVR दर को सुरक्षित राशि के रूप में निर्धारित किया जाय एवं छिट–पुट अतिरिक्त भूखण्ड की बन्दोबस्ती नीलामी के दौरान लगाए गए बोली/बोर्ड द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दर अथवा अद्यतन व्यवसायिक MVR दर में से जो अधिक हो पर किया जाए। यह निर्णय सभी संबंधित लंबित आवेदनो पर भी लागू होगा।
6	बिहार राज्य आवास बोर्ड अधीनस्थ दरभंगा प्रमंडल अन्तर्गत लहेरियासराय आवासीय कॉलोनी स्थित सम्पदाओं के चहारदिवारी के निर्माण कार्य पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत।
7	बहादुरपुर स्थित सेक्टर–7 में एन0बी0सी0सी0 (इंडिया) लि0 को आवंटित किये गये भूखण्ड के लीज–डीड के प्रारूप पर निर्णय के संबंध में।	उपस्थापित कार्यावली के कंडिका–8 ''क'' में वर्णित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। उपस्थापित कार्यावली की कंडिका–8 ''ख'' में वर्णित प्रस्ताव के संबंध में यह परामर्श दिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर विधि विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से महाधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त कर लिया जाय।
8	माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–9681/2017 द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.04.2018 के अनुपालन में श्री झूलन राम, चौकीदार से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में।	बोर्ड की अगली बैठक में सुनवाई करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सुनवाई के दौरान श्री झूलन राम को सुनवाई हेतु स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहने के लिए नोटिस निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(29)

9	लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत पारित आदेश एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पारित आदेश में दिए गए निर्देश के आलोक में बिहार राज्य आवास बोर्ड के साढ़ा, छपरा स्थित विभिन्न आय वर्ग के भूखण्डों कमजोर आय वर्गीय भूखण्ड संख्या–93 एवं अल्प आय वर्गीय भूखण्ड संख्या–एल0पी0–58/119 के नाला में विलोपित होने के कारण वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन के संबंध में।	स्वीकृत।

20-8-18
प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य आवास बोर्ड,
पटना

मुख्य अभियंता
बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।

सचिव वित्त (व्यय)
वित्त विभाग,
बिहार पटना

20/8/2018
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं
आवास विभाग,
बिहार पटना

अध्यक्ष सह विकास आयुक्त
बिहार, पटना

20/08/18
विशेष सचिव/अपर सचिव,
योजना विभाग,
बिहार, पटना

20/8/18
डॉ0 कामिनी सिन्हा
सहायक प्राध्यापक
वास्तुकला विभाग,
राष्ट्रीय प्रावैधिक संस्थान
(NIT), पटना

20/08/18
डॉ0 सुनीता लाल,
एसोसिएट प्रोफेसर,
कॉलेज ऑफ कॉमर्स,
पटना।

20.8.18
अभियंता प्रमुख
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
विभाग
बिहार, पटना।

20/8/18
सचिव,
बिहार राज्य आवास बोर्ड,
पटना

ज्ञाप संख्या– 4068 पटना, दिनांक– 23/08/2018

प्रतिलिपि, विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/विशेष सचिव, योजना विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्य नगर निवेशक, बिहार पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/डॉ0 कामिनी सिन्हा, सहायक प्राध्यापक वास्तुकला विभाग, राष्ट्रीय प्रावैधिक संस्थान (NIT), पटना/डॉ0 सुनीता लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्टस एवं साइंस, पटना/उप महा प्रबंधक, हडको, पटना/श्री विष्णु कुमार चौधरी, अध्यक्ष, इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, बिहार एवं झारखण्ड/डॉ0 राकेश तिवारी, सहायक प्राध्यापक, ए0एन0 सिन्हा इन्स्टीच्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना/बोर्ड के सभी पदाधिकारी/बोर्ड के सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदा0, स्थापना/अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सचिव के निजी सहायक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/8/18

सचिव।